

पत्रांक 10/न4-12/2004मा10 77/

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

श्रेष्ठ

सेवा में,

श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सचिव,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र कम्पान्टी सेंटर, पोत बिहार,
विकारा मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के
संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए
निर्णय के अंतर्गत निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०ई०, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस धातर्त के साथ निर्गत करने का निर्णय
लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के शिक्षण के
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समक्ष पेशनामि आ भुक्तान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर
कर्मियों को करना होगा।

- 111 श्री०बी० हाई स्कूल, परसा, समस्तीपुर
- 121 श्री०ए०पी० पब्लिक स्कूल, दाउदनगर, औरंगाबाद
- 131 हेरो इंग्लिश स्कूल, विद्यापति चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा
- 141 अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया
- 151 गजिन्द्र पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
- 161 प्रिंसिपेन्ट पब्लिक स्कूल, पुरानी पिपला कॉलोनी, जहानाबाद
- 171 श्री०ए०पी० पब्लिक स्कूल, मानपुर, कईया, गया
- 181 जयहिन्द पब्लिक स्कूल, विज्ञाननगर, गया डोभी रोड, बोधगया
- 191 टी० रजा हाई स्कूल, श्री०एम० दास रोड, पटना
- 201 ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज चौकी, पटना
- 211 एस०ए०डी०एन० कॉन्वेंट स्कूल, घाटनी चौक, शोउपुरा
- 221 सेंट मरीइज्जस स्कूल/से.के. इंग्लिश मीडियम, कमलनाथनगर, वैलिवा
- 231 बुद्ध पब्लिक स्कूल 03, अररौकनगर, गया
- 241 श्री०ए.ए.ए. स्कूल एरिमान स्कूल नगर चौक, जेनी रोड, पटना

PRINCIPAL
D.A.V. PS. CR. CR.
Medical College Road
Near A. T. Gate, Gaya (Bihar)
Aff. No 330101, Sch. No 50007

MANAGER
D.A.V. Public School
Daudnagar (Aurangabad)

विद्ययात्मन्,
श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमांक 75

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिलिपि संवर्धित जिला पदाधिकारी/संवर्धित क्षेत्रीय शिक्षा उपायुक्त/निदेशक/संवर्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संवर्धित विद्यालय के प्रमुख को सूचना के तृतीय क्रम सूचनाएं एवं आग्रहों का अर्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु विद्यालय द्वारा प्रतिलिपि कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्धारित प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सकती है:-

1. विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/अधीनस्थ कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के तालुके पतन एवं भर्ती अर्थात् भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अचानक कमी आने से संभावित हो ।

2. अनापूर्ति प्रमाण-पत्र के लिए तैयार किए गए अर्थात् जमाए जा रहे अथवा वास्तविक स्थिति से अलग होने पर,

3. विद्यालय में पित्तोप अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मंड के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मंड में व्यय किया जा रहा हो,

4. विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्यवाही की जा रही हो जिसे समाज में विभिन्न तौर-तरीकों के बीच अंतर पैदा हो;

5. सी.बी.एस.सी. मापदंड के अनुरूप अथवा, में संशोधित/अनुरूप मापदंड के अनुरूप विद्यालयों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

हेमचंद्र झा
सरकार के सचिव, शिक्षा ।

क्रमांक 74

पटना, दिनांक 15

प्रतिलिपि सचिव, निदेशक/मा.वि.स. /निदेशक/प्रा.वि.स. /संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना को सूचना के तृतीय क्रम सूचनाएं एवं आग्रहों का अर्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव, शिक्षा ।

क्रमांक 77

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिलिपि मानव संसाधन मंत्री/राज्य मंत्री/प्रा.वि.स. एवं मा.वि.स. मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना को सूचना के तृतीय क्रम सूचनाएं एवं आग्रहों का अर्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव, शिक्षा ।